# अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
## ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर।

पत्रांक– 1150 | अनु0/मुंगेर, दिनांक– 22/9/25

क,

ई0 दीप नारायण प्रसाद,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुंगेर।

ा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल मुंगेर।

षय– शीर्ष MGSY योजनान्तर्गत MGSY/24-25 Munger/02 (Tender ID-144147) पुल निर्माण कार्य का कार्यावन्टन आदेश के संबंध में।

संग– आपका पत्रांक–1310 अनु0 दिनांक 20-09-2025

हाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित कार्य आपके अनुशंसा के आधार पर कार्य हित में वैद्य न्यूनतम दर के निविदाकार **Sneha Singh (Bid ID-629175)** को उनके द्वारा निविदित दर जो परिमाण विपत्र दर से -3.75% ( तीन दशमलव सात पॉच प्रतिशत) कम है पर यह कार्य आवंटित किया जाता है, जिसके अनुसार कार्य की कुल लागत राशि मो0– 14,56,962/- (चौदह लाख छप्पन हजार नौ सौ बासठ) रूपये मात्र होगी।

1. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नही होगा।
2. कंडिकाओं के अनुरूप संवेदक से एकरारनामा हेतु Performance Security के रूप में E-CMBD के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप BG प्राप्त किया जायेगा।
3. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातो की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. कार्यादेश निर्गत करने के पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अंदर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य योजना हस्तानान्तरित कराकर प्राप्त कर लेंगें जो कि एकरारनामा का भाग होगा।
5. कार्य में व्यवहरित सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
6. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तो में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
7. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगें एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
8. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगें एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।
9. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टयों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाय।
10. सफल संवेदक के साथ शीघ्रातिशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत् 21 दिनों के अंदर कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 15 दिनों के अंदर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगें और उस समय के अंदर सभी कागजातों के साथ उपस्थित नही होने पर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय। जिससे की उचित कार्रवाई की जा सके।
11. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की 5 वीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
12. एकरारनामा करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जॉच पुनः कर लें

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Munger

Scanned with OKEN Scanner

ारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी जायेंगे।

पालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं ी अन्य एजेंसी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।

कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय।

ारनामा करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगें कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य त नहीं है।

ारनामा के पूर्व निविदादाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिला कर लेंगें निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजी जाय एवं निर्देश होने तक निविदा पर अग्रेतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।

र सरकार वाणिज्य कर विभाग के ज्ञापांक 541 दिनांक 10.02.2011 से निर्गत आदेश के अनुसार संवेदक अद्यतन कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद ही कोई भुगतान किया जाय।

/पुल/पुलिया के सन्दर्भ में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमण्डल, मुंगेर** एकरारनामा पूर्व आश्वस्त हो लेंगें कि इसका निरूपण सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत है।

निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जॉचोपरांत कार्यपालक अभियंता आवश्यक निर्देशो को अपने र से निर्गत करने एवं अभिलेख मूल में प्रमण्डल स्तर पर संधारित की जाय।

ारनामा के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगें तथा इस र्यालय को भी सूचित करेंगें।

सी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

माण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के लोक में अतिरिक्त वांछित परफार्मेंस सिक्युरिटी की राशि जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

र्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र/विभागीय परिपत्र के आलोक में निर्धारित की जायेगी।

ाये गये कार्य का गुणवत्ता संबंधी जाँचफल जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त होने के रान्त ही भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें।

र्यपालक अभियंता कार्यारम्भ, कार्यावधि के बीच में एवं कार्य समाप्ति की फोटो ग्राफ को प्रमण्डल कार्यालय में क्षित रखी जाय।

ेक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर एवं मापी पुस्तिका में दर्ज र भुगतान सुनिश्चित करेंगें।

रारनामा से पूर्व नियमानुसार Charaeter Certificatee and GST Clearnce Certificate प्राप्त कर लेंगे।

ा प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत करेंगे।

पया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगें।

यथोक्त्।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुंगेर।

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Munger

Scanned with OKEN Scanner